# न्यूज़ टुडे

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पर्यावरण राहत निधि (संशोधन) योजना, 2024 अधिसूचित की

यह अधिसूचना **लोक दायित्व बीमा अधिनियम (PLIA), 1991 की धारा 7A** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन योजना के अंतर्गत **पर्यावरण राहत निधि (ERF) योजना, 2008 में संशोधन** किया जाएगा।

- PLIA की धारा 7A में **पर्यावरण राहत निधि (ERF)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग **खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान** करने के लिए किया जाता है।

**मुख्य संशोधनों पर एक नजर:**

- **प्रशासन:** पर्यावरण राहत निधि (ERF) का प्रशासन **केंद्र सरकार** द्वारा किया जाएगा।
- **निधि प्रबंधक: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** ERF का निधि प्रबंधक था। **1 जनवरी, 2025 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ERF का निधि प्रबंधक बन गया है। CPCB **पांच साल** के लिए प्रबंधक रहेगा।
- **भुगतान (Disbursement):** निधि प्रबंधक, केंद्र सरकार के साथ परामर्श से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा व उसका रखरखाव करेगा। साथ ही, वह **जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार** के आदेश के माध्यम से राशि को वितरित करेगा।
- **निवेश:** ERF राशि को **सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों** में समुचित रूप से निवेश किया जाएगा, ताकि धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- **पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत:** निधि प्रबंधक, **खतरनाक पदार्थों** के विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, समाप्ति, रूपांतरण, हस्तांतरण आदि के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF राशि निर्धारित करेगा।
- **लेखा परीक्षा:** ERF के खातों की लेखा-परीक्षा एक **स्वतंत्र लेखा परीक्षक** करेगा। इसे **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से केंद्र सरकार नियुक्त** करेगी।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**लोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 2024**

पर्यावरण मंत्रालय ने PLIA, 1991 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं।

**मुख्य संशोधनों पर एक नजर**

- प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति से **प्रत्यक्ष और पर्याप्त संबंध व हित रखने वाले व्यक्ति भी संपत्ति की बहाली के लिए दावा** कर सकते हैं।
- यह **पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF के उपयोग** का प्रावधान करता है।
- एकल दुर्घटना के लिए **बीमा पॉलिसी कवरेज सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये और एकाधिक दुर्घटनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

## प्रधान मंत्री ने डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में ONDC की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), **व्यापारियों और ग्राहकों के लिए एक सार्वजनिक ऑनलाइन नेटवर्क** है। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आपस में जुड़ने और अंतर-संचालन की अनुमति देता है।

**ONDC के बारे में**

- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य मंत्रालय के तहत **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** इसका नोडल मंत्रालय है।
- **लॉन्च:** इसे **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के अंतर्गत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** के रूप में **2021 में निगमित** किया गया था।
- **उद्देश्य:** भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना।
- **संस्थापक सदस्य:** भारतीय गुणवत्ता परिषद् और प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
- **कार्यप्रणाली:** ONDC **ओपन-सोर्स पद्धतियों और प्रोटोकॉल्स** का उपयोग करता है। यह पूरे भारत में विक्रेताओं, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह किसी विशेष प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र है।
- **महत्त्व:** इससे **मूल्य निर्धारण में सुधार** होता है और **उपभोक्ताओं की विविध सेवा प्रदाताओं से सेवाएं** प्राप्त होती हैं।
- **आवश्यकता क्यों है:** भारत में 12 मिलियन से अधिक विक्रेता विक्रय या पुनर्विक्रय पर निर्भर हैं, लेकिन **केवल 0.125% ही ई-कॉमर्स का उपयोग** करते हैं।
- **प्रमुख निवेशक:** SBI, ICICI Bank, NSE, आदि।

**ONDC के मुख्य घटक**

- **विकेंद्रीकृत संरचना:** ONDC पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के विपरीत **ई-कॉमर्स सेवाओं का स्वामित्व या संचालन नहीं** करता है। यह **इंटरकनेक्टिविटी के लिए एक सक्षमकर्ता** के रूप में कार्य करता है।
- **ओपन प्रोटोकॉल्स:** खुले मानकों के आधार पर, ONDC यह सुनिश्चित करता है कि **ई-कॉमर्स बाजार में वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों,** लेन-देन कर सकते हैं।
- **भूमिका का पृथक्करण:** स्पष्टता के लिए **क्रेता एप्लिकेशन, विक्रेता एप्लिकेशन और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं** जैसी भूमिकाओं को परिभाषित करता है।

## सेना ने असम में कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया

**मेघालय की सीमा से लगे असम के दिमा हसाओ जिले के उमरांग्सो** में एक जलमग्न कोयला खदान में नौ मजदूर फंस गए।

**रैट होल माइनिंग के बारे में**

- **खनन तंत्र:** रैट-होल खनन में आमतौर पर **3-4 फीट गहरी संकरी सुरंग** बनाई जाती है। इन सुरंगों में श्रमिक (अक्सर बच्चे) घुटनों के बल प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं।
  - ये सुरंगे क्षैतिज आकार की होती हैं। इनका नाम **"रैट-होल्स" इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसी प्रत्येक सुरंग में लगभग एक ही व्यक्ति** प्रवेश कर सकता है।
  - कोयला खनन की **यह तकनीक मेघालय में अधिक प्रचलित** है, क्योंकि वहां कोयले की परत पतली है।
- **रैट होल माइनिंग विधि को व्यापक रूप से अपनाने के कारण:**
  - **प्राकृतिक कारक:** मेघालय में कोयले की परतें बहुत पतली है, जो ओपन-कास्ट खनन विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। इन पतली परतों के लिए रैट-होल खनन विधि अधिक किफायती साबित होती है।
    - एडवांस ड्रिलिंग विधियों की उच्च लागत और दुर्गम क्षेत्र के कारण रैट-होल खनन विधि को प्राथमिकता दी जाती है। मेघालय में खनिकों का कहना है कि ओपनकास्ट खनन विधि की तुलना में रैट-होल खनन विधि उनके लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है।
  - **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे: संविधान की छठी अनुसूची** भूमि पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा से जुड़े प्रावधान करती है।
    - गौरतलब है कि छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में भूमि मालिकों को ही खनिजों का स्वामी माना जाता है। साथ ही, **1973 का कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम इन क्षेत्रों में स्थित खदानों पर लागू नहीं** होता है।

**रैट होल माइनिंग विधि के परिणाम**

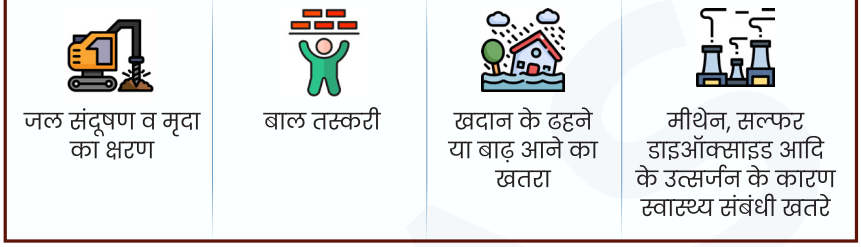


- **कानूनी स्थिति:** वर्ष 2014 में, **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध** लगा दिया था। न्यायालय ने इस खनन तकनीक को **अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित** बताया है।
  - हालांकि, **वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय** ने कहा कि यदि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है, तो NGT का **प्रतिबंध लागू नहीं होगा।**

## ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में **वैश्विक जल चक्र की स्थिति का सारांश प्रस्तुत** किया गया है। साथ ही, इसमें प्रमुख जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है।

**जल चक्र (Water Cycle)**

- जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर **जल की सभी अवस्थाओं (ठोस, तरल और गैस) में संचरण को दर्शाता है।**
- तरल अवस्था वाला जल वाष्पित होकर **जलवाष्प** बन जाता है। बाद में ये **जलवाष्प संघनित होकर बादलों** का निर्माण करते हैं तथा **वर्षा और हिम** के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं।

**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर (जल चक्र की स्थिति)**

- 2024 में **जल-संबंधी आपदाओं** के कारण:
  - 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई;
  - 40 मिलियन लोग विस्थापित हो गए; तथा
  - 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
- **मृदा में मौजूद जल के मामले में काफी क्षेत्रीय विषमताएं** देखी गई हैं। जैसे **दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा तथा पश्चिमी अफ्रीका में आर्द्र मृदा** की दशाएं पाई गई हैं।
- **झीलों और जलाशयों में जल भंडारण में लगातार पांचवें वर्ष गिरावट** दर्ज की गई है।

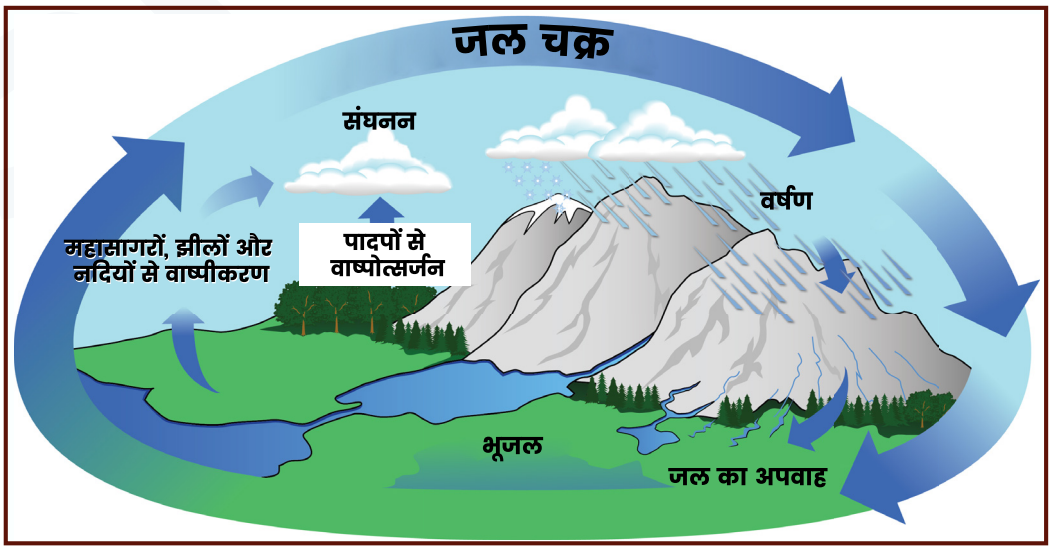


**जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**

- **तीव्रता:** जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को **7.4% तक बढ़ा** दिया है।
- **गंभीर तूफान:** गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक **1°C तापमान वृद्धि** पर अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता **7% तक बढ़** जाती है। इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है।
- **सूखा:** तापमान वृद्धि से अधिक **वाष्पीकरण** होता है, मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा बढ़ता है।
  - हाल के दशकों में **अत्यधिक शुष्क महीने आम** हो गए हैं।
- **समुद्र जल स्तर में वृद्धि:** तापीय विस्तार और पिघलती बर्फ से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही, **महासागरीय अम्लीकरण से समुद्री जीवन प्रभावित** हो रहा है।

## केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन पर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा

राज्य सरकार को **वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत निर्धारित समुदायों के वन अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश** दिया गया है।

**वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में**

- इसे **अनुसूचित जनजाति (STs) एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के रूप में पारित किया गया है।
- **उद्देश्य:** वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के वन भूमि पर उनके वन अधिकारों एवं वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देना।
- **वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के प्रकार**
  - **व्यक्तिगत अधिकार:** स्वयं खेती करने और निवास करने का अधिकार।
  - **सामुदायिक अधिकार:**
    - चराई, मछली पकड़ना और वनों में मौजूद जल निकायों का उपयोग करना;
    - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवास अधिकार;
    - बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार;
    - संधारणीय उपयोग के लिए किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार।
  - **ग्राम सभा की भूमिका:** ग्राम सभा को वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है।
  - **राज्य सरकारों की भूमिका:** राज्य सरकारों को अधिनियम को लागू करने का काम सौंपा गया है। ये **राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय समितियों और उप-मंडल स्तरीय समितियों** का गठन करती हैं।

**वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में**

- **मध्य प्रदेश** के तीन जिलों **नरसिंहपुर, सागर और दमोह** में विस्तृत है।
- इसमें **नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य** के क्षेत्र शामिल हैं।
  - नौरादेही एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। इसमें भारत की दो प्रमुख नदी घाटियां, अर्थात् **गंगा और नर्मदा** शामिल हैं।
- **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं।
- **जीव:** नीलगाय, चीतल, सांभर, रीसस मैकाक, पैंथर, भारतीय भेड़िया आदि।

## संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी एंटिटी लिस्ट से भारतीय परमाणु संस्थानों को हटाएगा

- एंटिटी लिस्ट ऐसे मटेरियल के अनधिकृत व्यापार को रोकती है, जो **आतंकवाद व सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) कार्यक्रमों का समर्थन** कर सकता है।
  - भारतीय संस्थाओं को इस सूची से हटाने से **2008 के भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते** को फिर से सक्रिय करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

**भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता**

- **पृष्ठभूमि:**
  - इस समझौते को **123 समझौता** भी कहा जाता है। **123 समझौता** जुलाई 2005 में पेश किया गया था। इस समझौते का यह नाम **अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123** के नाम पर रखा गया है।
  - यह समझौता **भारत पर 30 साल से लगे अमेरिकी परमाणु व्यापार प्रतिबंध** को समाप्त करता है। ये प्रतिबंध परमाणु परीक्षण और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के चलते लगाए गए थे।
- **भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए सहयोग:** यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारत को परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और रिएक्टर बेचने की अनुमति देता है।
- **भारत की प्रतिबद्धता:** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों का विस्तार करने; अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एवं मिसाइल निर्यात दिशा-निर्देशों का पालन करने; परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी रखने आदि पर सहमति व्यक्त की थी।
- **समझौते का महत्त्व**
  - यह **भारत के परमाणु अप्रसार के मामले में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड तथा परमाणु कार्यक्रम पर स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों को लागू** करने के इतिहास को मान्यता देता है।
  - यह भारत को ऐसी परमाणु सुविधाओं पर **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित** करता है, जिनका पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था।
  - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का औपचारिक सदस्य न** होते हुए भी भारत द्वारा इसके निर्यात मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई है।
    - भारत अन्य बहुपक्षीय हथियार और तकनीकी निर्यात नियंत्रण समूहों का सदस्य है, जैसे:
      - » **मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR);**
      - » **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप;**
      - » **वासेनार अरेंजमेंट आदि।**
- **समझौते के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां**
  - **भारत का परमाणु दायित्व (Nuclear Liability):** परमाणु आपदा पीड़ितों हेतु मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने **'परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010'** बनाया है। इसके चलते अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ तनाव बना हुआ है।
  - **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करना:** भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करना भी इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।

## अन्य सुर्ख़ियां

### ब्रिक्स (BRICS)

**इंडोनेशिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल** कर लिया गया है। इसकी घोषणा ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष देश ब्राजील ने की है।

- **इंडोनेशिया** दक्षिण-पूर्व एशिया में **सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** वाला देश है।

**ब्रिक्स के बारे में**

- **उत्पत्ति:** ब्रिटिश अर्थशास्त्री **जिम ओ' नील ने 2001 में 'ब्रिक्स' (BRICs) का संक्षिप्त नाम गढ़ा था, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन** की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
  - ब्रिक्स का गठन **2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन** द्वारा किया गया था। **दक्षिण अफ्रीका 2010** में इसमें शामिल हुआ था।
  - **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब** भी ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।
- **उद्देश्य: वैश्विक शासन व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं** में सुधार लाना तथा **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने में सकारात्मक योगदान देना।**

### स्टील PLI 1.1

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने **विशेष इस्पात के लिए PLI (उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन) योजना के दूसरे चरण** का शुभारंभ किया है। इस चरण का नाम **PLI योजना 1.1** है।

**PLI योजना 1.1 के बारे में**

- **उद्देश्य:** मूल्य वर्धित इस्पात ग्रेड के विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी में परिपक्व होने और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक।
- **इसमें कवर किए गए उत्पाद:** PLI योजना 1.1 मौजूदा PLI योजना के अनुरूप **पांच निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों को कवर करती है:**
  - लेपित / प्लेटेड स्टील उत्पाद,
  - हाई स्ट्रेंथ स्टील,
  - स्पेशिलिटी रेल्स,
  - मिश्र धातु स्टील उत्पाद, तथा
  - स्टील के तार और इलेक्ट्रिकल स्टील।

## बनिहाल बाईपास

बनिहाल बाईपास का **निर्माण पूरा** हो चुका है।

**बनिहाल दर्रे के बारे में**

- यह दर्रा **जम्मू और कश्मीर में NH-44 के 2.35 किमी लम्बे सड़क खंड का हिस्सा है।**
  - NH-44 **भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।** इसे पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था।
  - यह राजमार्ग 3,745 **किलोमीटर लंबा** है और जम्मू-कश्मीर के उत्तरी छोर पर स्थित **श्रीनगर** को भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित **कन्याकुमारी से जोड़ता है।**
- यह बाईपास **सुरक्षा बलों के लिए तेज और सुगम आवागमन** को सुनिश्चित करेगा। यह **खरपोरा, बनिहाल और नवयुग सुरंग** के बीच यात्रा का समय घटाकर मात्र 7 **मिनट** कर देगा।

## टाइडल टेल

NGC 3785 **आकाशगंगा की टाइडल टेल** (Tidal Tail) **के अंत में एक नवीन आकाशगंगा का निर्माण** देखा गया है।

- NGC 3785 आकाशगंगा को **अब तक खोजी गई सबसे लम्बी टाइडल टेल** के लिए जाना जाता है।

**टाइडल टेल के बारे में**

- यह **दो आकाशगंगाओं के निकट संपर्क या विलय प्रक्रिया के दौरान गुरुत्वीय बलों** (**"ज्वारीय बलों"**) के कारण बनती है। इस प्रक्रिया में आकाशगंगाएं एक-दूसरे से मैटर को अपनी ओर खींचती हैं।
  - यह **तारों और गैसों से बनी अत्यंत विशाल लहर** के रूप में होती है।
- यह **अल्ट्रा-डिफ्यूज आकाशगंगाओं** के निर्माण को समझने का अवसर प्रदान करती है। **अल्ट्रा-डिफ्यूज आकाशगंगाओं की चमक बहुत कम** होती है।

## क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट

इसरो द्वारा PSLV-C60 **के क्रॉप्स** (CROPS) **एक्सपेरिमेंट** के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए **लोबिया** (Cowpea) के बीज चार दिन के भीतर अंकुरित हो गए हैं।

- यह अंतरिक्ष में इसरो का **पहला जैविक प्रयोग** है। यह CROPS (**कॉम्पैक्ट रीसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़**) का हिस्सा है।

**क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट के बारे में**

- यह एक **स्वचालित प्लेटफॉर्म** है, जिसे अंतरिक्ष के **सूक्ष्मगुरुत्व** (Microgravity) **वातावरण में पौधों के जीवन को विकसित और बनाए रखने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र** द्वारा विकसित किया गया है।
- यह उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष में पौधे उगाने की **इसरो की क्षमता** को प्रदर्शित करती है, बल्कि **भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों** के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है।

## जैविक मत्स्य पालन

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने **सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर** का शुभारंभ किया।

- इसका उद्देश्य **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** (PMMSY) के तहत सिक्किम में **जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास** करना है।
  - PMMSY का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक का संधारणीय विकास सुनिश्चित करके **नीली क्रांति को संभव** बनाना है।
  - PMMSY के तहत मत्स्य पालन क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, इकोनॉमी ऑफ स्केल को सुगम बनाने और उच्चतर आय सुनिश्चित करने के लिए **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने** पर बल दिया जा रहा है ।
- जैविक मत्स्य पालन के तहत हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों का उपयोग करने की बजाय **पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मत्स्य पालन प्रणाली** को अपनाया जाता है।

## संत नरहरि तीर्थ

**विशाखापत्तनम के सिंहाचलम मंदिर** में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है।

**संत नरहरि तीर्थ के बारे में**

- **संत नरहरि तीर्थ** 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध **द्वैत वेदांत** दार्शनिक, विद्वान और संत थे।
- ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म **चिकाकोलु नगर (वर्तमान श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश)** में हुआ था।
- वे **मध्वाचार्य** के शिष्य थे, जो **द्वैत वेदांत दर्शन** के प्रवर्तक थे।
- उन्होंने **यक्षगान और बयालु आटा (खुले रंगमंच का नाटक) को वैष्णव भक्ति आंदोलन का हिस्सा** बनाया था।
- **तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी में चक्रतीर्थ** के निकट शिला के पास उनकी प्रतिष्ठा की स्थापना गई थी।

## विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **यदि किसी विदेशी नागरिक पर आपराधिक आरोप हैं और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है,** तो उसे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946** केंद्र सरकार को भारत में **विदेशियों के आने, जाने और मौजूदगी को विनियमित करने का अधिकार** प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी, नजरबंदी या कारावास के आदेश जारी करने की भी शक्ति है।
- **विदेशियों के लिए आदेश** (Foreigners Order), **1948 के तहत सिविल प्राधिकारियों की नियुक्ति और भारत से विदेशियों के जाने को विनियमित** करने जैसे प्रावधानों की रूपरेखा शामिल है।
- यह आदेश स्पष्ट करता है कि यदि किसी **आपराधिक आरोप में विदेशी नागरिक की उपस्थिति** अनिवार्य है, तो उसे भारत से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या बिना अनुमति के वह भारत से नहीं जा सकेगा।

## सभी के लिए किफायती LED द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला/ UJALA)

**विद्युत मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के **10 वर्ष पूरे हुए।** इसका नाम पहले **घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम** (DELP) था।

- **उद्देश्य:** घरों में किफायती ऊर्जा-दक्ष LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराकर आवासीय स्तर पर **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।**
- **कार्यान्वयन:** विद्युत मंत्रालय के अधीन डिस्कॉम और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)।
- **यह विश्व का सबसे बड़ा शून्य-सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है।**
- **मुख्य परिणाम:**
  - **प्रति वर्ष लागत बचत:** 19,153 करोड़ रुपये।
  - **$CO_2$ उत्सर्जन में कमी:** लगभग 3.87 करोड़ टन।
  - **प्रति वर्ष ऊर्जा बचत:** 47,883 मिलियन kWh.

## सेलेक्टिव साइलेंसिंग

**कोलंबिया विश्वविद्यालय** के शोधकर्ताओं ने **रोग के परिणामों पर सेलेक्टिव साइलेंसिंग** के प्रभाव का खुलासा किया।

**अध्ययन के बारे में**

- शरीर की **प्रत्येक कोशिका (शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर) में प्रत्येक जीन की दो प्रतियां** होती हैं। एक **प्रति माता और दूसरी प्रति पिता** से प्राप्त होती है।
- हालांकि, कुछ कोशिकाएं कभी-कभी माता-पिता में से केवल एक की जीन प्रति को सक्रिय रखती हैं और दूसरी को निष्क्रिय (साइलेंस) कर देती हैं। इसे ही **सेलेक्टिव साइलेंसिंग** कहा जाता है।
  - यहां 'साइलेंसिंग' का अर्थ है **किसी विशिष्ट जीन के संदेश को अवरुद्ध** करना।
- अध्ययन में इस बात की संभावना जताई गई है कि यह **सेलेक्टिव साइलेंसिंग** ही है जिसके कारण रोगों से जुड़े जीन वाले कुछ व्यक्ति उन रोगों के लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।